ई, मेल :- dforudraprayag @gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 2304 / 12-16C2) दिनांक 10/01/2022::

123/16C
13/01/2

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रुद्रप्रयाग।

विषय :– **जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत कुटमुण पुल से उछना ढैंचल तक मोटर के निर्माण हेतु 1.3475 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/10936/2015**

सन्दर्भ :– अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–927/X-4-15/1(476)/2015 दिनांक 03.11.2015 एवं आपकी पत्र संख्या–5264/16सी0 दिनांक 14.12.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकनोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 03.11.2015 को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें एन0पी0वी0 की धनराशि पुरानी दरों पर जमा की गई है, जबकि ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–5–3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 19.01.2022 **(प्रति संलग्न है)** से जारी दिशा–निर्देश में ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिनमें 06 जनवरी 2017 से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा दिनांक 06 जनवरी 2022 तक विधिवत् स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है।

बिन्दु सं0–1 भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उक्त पत्र से जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–4 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार है–

1.	ईको–क्लास श्रेणी	=	V^{th}
2.	हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	0.5 (0.50%)
3.	एन0पी0वी0 की दर (प्रति है0)	=	12,92,850.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0)	=	1.3475
5.	कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)	=	17,42,115.00
6.	पूर्व में जमा की गई एन0पी0वी0 धनराशि (रुपये)	=	–11,38,638.00
7.	**वर्तमान में देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)**	–	**6,03,477.00**

(17,42,115.00–11,38,638.00) छः लाख, तीन हजार चार सौ सत्तर मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

बिन्दु सं0–2 शर्त संख्या–1 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है का प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः उक्त शर्त के अनुपालन में प्रभावित 1.3475 है0 वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु **उत्तर प्रदेश सरकार, वर्ग–9(3)ङ बंजर, ग्राम–उछना, खाता संख्या–40/371 के खसरा संख्या–2923, रकवा–3.751 है0, मध्ये–2.695 है0 सिविल वन भूमि** का राजस्व विभाग के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर चयनित भूमि का डिमार्केशन प्रस्ताव में संलग्न डिजिटल मानचित्र में अंकित कुल 04 G.P.S. Point के अनुसार एवं **आर0सी0सी0 पिलर्स लगाकर सीमांकन किया जाय, जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।** सीमा पिल्लरों की माप/Size 60.00 cm. X 60.00 cm. X 75.00 cm. है। सीमा पिल्लरों का 15 सेमी0 भाग भूमि की सतह के नीचे आधार के रुप में तथा 60 सेमी0 भाग सतह से ऊपर निर्माण करायें, ताकि भूमि को वन विभाग के कब्जे में लिया जा सके।

AEI/वन भूमि सधाई
13/1/23
DFO
13/1/23

क्रमशः–2 पर

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त उक्त 02 बिन्दुओं की बिन्दुवार/कॉलमवार सूचना मय संलग्नक शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें। तत्पश्चात् प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जानी संभव होगी।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– /दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड, पौड़ी।
3. वन क्षेत्राधिकारी दक्षिणी रेंज को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार चयनित भूमि का डिमार्केशन एवं पिल्लर निर्माण के पश्चात् वन विभाग के कब्जे में लेना सुनिश्चित करें।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।